मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 19-2/2018/12/1 **भोपाल, दिनांक:-** 28/02/2018

प्रति

कलेक्टर
जिला- जबलपुर, कटनी, छिन्दवाड़ा, बालाघाट,
नरसिंहपुर, सागर, दमोह, पन्ना, रीवा, सीधी,
सिंगरौली, सतना, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया,
बैतूल, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, नीमच, ग्वालियर,
मध्यप्रदेश ।

विषय:- डी.एम.एफ. पोर्टल से ऑनलाईन कार्यादेश जारी किया जाना।

राज्य शासन दवारा डी.एम.एफ. से संबंधित सभी कार्य ऑनलाईन करने की व्यवस्था प्रारंभ की जा रही है। इस संबंध में प्रथम चरण में डी.एम.एफ. फण्ड से स्वीकृत कार्यों के आदेश ऑनलाईन जारी करने के लिये साफ्टवेयर विकसित किया गया है। साफ्टवेयर का उपयोग करने के संबंध में मैन्युअल संलग्न है।

2/ इस निर्देश के बाद जारी होने वाले समस्त कार्यादेश डी.एम.एफ. वेबसाइट के माध्यम से जारी किये जायें।

3/ डी.एम.एफ. पर प्रोजेक्ट परिभाषित करने के पश्चात इस कार्य का कार्य आदेश साफ्टवेयर दवारा जनरेट हो सकेगा । साफ्टवेयर से आदेश जारी करने पर आपको अलग से डाटा एन्ट्री नहीं करना होगी।

4/ आगामी आदेश तक विभिन्न कार्यों के लिये जो कार्यादेश जारी किये जायें, उनका आदेश का प्रारूप साफ्टवेयर से जनरेट करने के पश्चात नस्ती पर रखकर हस्ताक्षरित किया जाये। 02 माह के अनुभव के पश्चात इस ऑनलाईन डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से जारी करने की व्यवस्था की जाएगी।

5/ दिवतीय चरण में डी.एम.एफ. के विभिन्न कार्यों के लिये राशि भुगतान की ऑनलाईन संबंधित कार्य एजेंसी को जारी करने की व्यवस्था की जायेगी।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार मैन्युअल।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जे. पी. श्रीवास्तव)
अवर सचिव
म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग

पृ.क्रमांकः- एफ 19-2/2018/12/1 भोपाल, दिनांकः- 28/08/2018

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला जबलपुर, कटनी, छिन्दवाड़ा, बालाघाट, नरसिंहपुर, सागर, दमोह, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, बैतूल, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, नीमच, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. खनि अधिकारी, कलेक्टर कार्यालय जिला पंचायत जिला जबलपुर, कटनी, छिन्दवाड़ा, बालाघाट, नरसिंहपुर, सागर, दमोह, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, बैतूल, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, नीमच, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. गार्ड फाईल।

अवर सचिव

म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग